

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004, म.प्र.

अधि सूचना

भोपाल, दिनांक 15.2. 2001

क्र.एफ-25/110/2000/पी.डब्ल्यू.सी./चार, भरत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

नियम 42 के उप नियम (1)के खण्ड (ए)के विद्यमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

परंतु ऐसा शासकीय सेवक, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :-

(एक). जहां शासकीय सेवक निलंबन के अधीन हो,

(दो). जहां शासकीय सेवक के विस्तृदृष्टि अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करना नियुक्ति प्राधिकारी के विचाराधीन हो .

परंतु यह और कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रथम परंतुक के खण्ड(दो) के अधीन, शासकीय सेवक द्वारा दी गई सूचना की तारीख से छह मास के भीतर, ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में विनिश्चय नहीं किया हो तो यह समझा जाएगा कि नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे शासकीय सेवक को छः मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् की तारीख को सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञात कर दिया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अशोक दास)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
M I N I S T R Y
VALLABH BHAWAN-462004, M.P.

NOTIFICATION

Bhopal, dated 15 - 2 -2001

No.F-25/110/2000/PWC/IV,In exercise of the powers conferred by the proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for the existing proviso to clause(a)of sub rule(1)of Rule 42, the following provisos shall be substituted, namely :-

Provided that such Government servant shall not be allowed to retire from service without prior permission in writing of the appointing authority under the following circumstances :-

- (i) Where the Government servant is under suspension,
- (ii) Where it is under consideration of the appointing authority to institute disciplinary action against the Government servant,

Provided further that if the appointing authority has not taken the decision under clause(ii)of the first proviso, within six months from the date of notice given by the Government servant with regard to such disciplinary action it shall be deemed that the appointing authority has allowed to such Government servant to retire from service on the date after expiry, of the period of six months.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(Ashok Das)
Secretary,
Govt. of M.P.,FinanceDepartment.

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. निज सचिवनिज सहायक, समस्त मंत्रीराज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुरइंदौरग्वालियर
12. महाधिवक्ताउपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुरइंदौरग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)(आडिट)-12 मध्यप्रदेश, ग्वालियरभोपाल।
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डलमाध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिवसचिवउप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखाअधीक्षण शाखाअभिलेखमुख्य लेखा अधिकारी) वल्लभ भवन, भोपाल ।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनसंघ
21. अध्यक्ष, म.प्र. पेशनर्स एसोसियेशन, बंगलौर, कर्नाटक
22. समस्त संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
24. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
25. सदस्य पेशनर कल्याण मण्डल
26. निगरानी प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
27. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

(के.एन. पंत)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त
विभाग